न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
22/22	एफएसएस एक्ट, 2006	06/12/2022

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
—आवेदक

बनाम

1. गोपाल लाल गुप्ता पुत्र घासी लाल गुप्ता (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स घासीलाल, गोपाललाल, स्टेशन रोड बजरिया ,गंगापुर सिटी निवासी जगदम्बा नगर, कर्मचारी कॉलोनी ,गंगापुर सिटी।
2. श्रीमति वंदना (प्रोपराईटर) मैसर्स साक्षी एन्टरप्रराईजेज, न्यू रिको के पास ,बयाना ,भरतपुर निवासी गॉधी सेवासदन ,लालबाग, बयाना जिला भरतपुर।
—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 24.04.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 27/09/2022 को दोपहर 02:10 पी0एम0 पर उक्त संस्थान पर पहूॅचा वहा पर आम जनता को विकय हेतु दुकान के काउन्टर पर आचार मीठा निम्बु (शाक्षी गोल्ड) 1–1 किलो की पैकिंग में 6 पैक डिब्बे रखे थे। जिनमें गुणवत्ता एवं लेबलिंग की जांच हेतु वास्ते नमुना जांच 04 किलो (04 पैक डिब्बे) आचार मिठा निम्बु (शाक्षी गोल्ड) 1–1 किलो की पैकिंग खरीदकर उनकी कीमत 400/– रू0 विक्रेता श्री गोपाल लाल गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 04 पैक डिब्बे आचार मीठा निम्बु (शाक्षी गोल्ड) 1–1 किलो पैकिग पर लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2445 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूॅचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेशषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2022/215 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2890/ एक्ट/2022/ 2924 दिनांक 14.10.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ आचार मीठा निम्बु (शाक्षी गोल्ड) मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2890/ एक्ट/2022/ 2924 दिनांक 14.10.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ आचार मीठा निम्बु (शाक्षी गोल्ड) का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक विरेन्द्र कुमार सिंह को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई विधिक रूप से कोई अधिकार दिनांक 27.09.2022 को नहीं था। वेदप्रकाश पूर्विया व साक्षी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार सैम्पल नहीं लिया गया । सैम्पल अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एनेललिस किया गया। करण सिंह तनवार के पास एनेललिस से सम्बन्धि कोई आवश्यक योग्यता नहीं है। परिवादी व गवाह सभी विभाग के अधिकारी व अधिनस्थ कर्मचारी है तथा मौके पर कार्य की तब मौके के स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये गये है। अप्रार्थी सं0 1 किराना की दुकान करता है और खुर्दरा माल विकय करता है। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 2 से पांच डिब्बे मिठ्ठा निब्बु पैंकिगशुदा खरीदे थे और पैकिंग में ही विकय करता है। अप्रार्थी सं0 1 का कोई अपराध नहीं बनता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप करने की कृपा करे, साथ ही अप्रार्थी सं0 2 एक महिला है ओर लघु कुटीर उधोग के रूप में महिला समूह बनाकर आचार, मुरब्बा, आदि बनाकर लघु रूप में विकय करती है। जो एक महिला समूह की श्रेणी में आता है, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2890/ एक्ट/2022/ 2924 दिनांक 14.10.2022 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ आचार मीठा निम्बु (शाक्षी गोल्ड) मिसब्राण्डेड का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है। वकील अभियुक्त ने दौराने बहस अवगत कराया कि आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई विधिक रूप से कोई अधिकार दिनांक 27.09.2022 को नहीं था। उक्त कम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रण राजस्थान जयपुर आदेश कमांक 770 दिनांक 07/06/22 द्वारा आवेदक को जिला सवाई माधोपुर अतिरिक्त कार्यक्षेत्र आवंटित किया गया था तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रण राजस्थान जयपुर आदेश कमांक 2714 दिनांक 01/09/22 द्वारा आवेदक का स्थानान्तकरण जिला सवाई माधोपुर में किया गया था, साथ ही यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर (राज.)

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण सं0 1 लगायत 2 को पृथक–पृथक रूप से 5000–5000 (पांच–पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी